

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग, कोटा
कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण/समायोजन कालम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा आदेशित किये जाते हैं।

S.No.	Name	Employee ID	Post	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		Remark
					Name Of School	District	Name Of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राकेश शर्मा	RJBR199204018133	Assistant Administrative Officer	—	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बारां	बारां	राउमावि हरनावदाशाहजी छीपाबडौद 217597	बारां	TA DA
2	नदीम इकबाल	RJKO199127002465	Assistnat Administrative officer	—	राउमावि कोटडादीपसिंह, सुल्तानपुर 224477	कोटा	राउमावि अरण्डखेडा, लाडपुरा 216640	कोटा	
3	ओम प्रकाश गौतम	RJBR198904011396	Senior Assistant	—	राउमावि बोहत, मांगरोल 216874	बारां	राउमावि सारथल, छीपाबडौद 217595	बारां	TA DA
4	पुष्पकान्त नागर	RJBR199604018614	Senior Assistant	—	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बारां	बारां	राउमावि कस्बाथाना, शाहबाद 217670	बारां	TA DA
5	आशीष कुमार शर्मा	RJBU201410022920	Senior Assistant	—	राउमावि गेण्डोलीखुर्द, के०पाटन, 221593	BUNDI	राउमावि बडाखेडा, के०पाटन 221603	बून्दी	

उक्त स्थानान्तरण आदेशों में अंकित कार्मिक तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से पूर्व पदस्थापन स्थान से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर लेवे।

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं :-

- 1-राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम-2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
- 2- टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर/गुर्दा प्रत्यारोपण) /परीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवानिवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4-माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक /लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक /वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलंबित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5-स्वेच्छा से स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 6-स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाने सुनिश्चित करावे।



(सुरेन्द्र सिंह गौड)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा

दिनांक 30.09.2021

कमांक :संयु.निदे/स्कूल शिक्षा/को/संस्था-3/स्थानान्तरण/2021/1130

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर
- 2-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर
- 3-शासन उपसचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर
- 4-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 5-सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 6-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/झालावाड
- 7-जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) कोटा/झालावाड
- 8-संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- 9-संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक.....
- 01-रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
कोटा संभाग कोटा